



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223358
CG-DL-E-27112020-223358

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3733]
No. 3733]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/अग्रहायण 5, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4237(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.4129(अ), तारीख 05.11.2019, जी भारत के राजपत्र तारीख 15.11.2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में त्रिपुरा राज्य में गजालिया जि.सि.एस (त्रिपुरा) से ओ.टि.पि.सि पालाटाना (त्रिपुरा) तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता के तारीख 19.11.2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड में निहित होगा।

मौजा : दक्खिन हाइचा छरा

जिला: दक्खिन त्रिपुरा

तहसील: दक्खिन हाइचा छरा

उप-संभाग : शान्तिर बाजार

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पि.एम.पि. धारा कि उपधारा 3(1) के अतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची:-

क्र. सं.	खसरा सं	प्लॉटसं	भूमि का वर्ग	एकड़ मेक्षेत्रफल
1	482	2736/p	टिला	0.25
कुल				0.25

मौजा : गारदां

जिला: दक्खिन त्रिपुरा

उप-संभाग : शान्तिर बाजार

तहसील: शान्तिर बाजार

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पि.एम.पि. धारा कि उपधारा 3(1) के अतर्गत सम्मिलित किया गया है

भूमि की भूमि अनुसूची:-

क्र. सं.	खसरा सं	प्लॉटसं	भूमि का वर्ग	एकड़ मेक्षेत्रफल
1	98	267/p	लुंगा	1.01
2	4	1/p	टिला	1.28
कुल				2.29

[फा. सं. Expl-11032(11)/54/2020-Expl-1-PNG]

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O. 4237(E).—whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas **S.O. 4129(E) dated 05.11.2019** issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Acts, 1962 (50 of 1962) (here in after referred to as the said Act), Published in the Gazette of India dated **15.11.2019** the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through **Gojalia GCS (Tripura) to OTPC Palatana (Tripura)** in the State of Tripura by ONGC Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 19.11.2019

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User there in:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 6 of said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the ONGC Limited, free from all encumbrances.

Mouza:Dakshin Hichachhara

District: South Tripura

Tehsil : Dakshin Hichachhara

Sub- Division: Santirbazar

The following Schedule of Additional Plots & Area have been included / increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962

Schedule of Additional Land :-

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in Acre
1	482	2736/p	Tilla	0.25
TOTAL				0.25

Mouza: Gardang

District: South Tripura

Tehsil : Santirbazar

Sub- Division: Santirbazar

The following Schedule of Additional Plots & Area have been included / increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962

Schedule of Additional Land :-

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in Acre
1	98	267/p	Lunga	1.01
2	4	1/p	Tilla	1.28
TOTAL				2.29

[F. No. Expl-11032(11)/54/2020-Expl-1-PNG]

KULDEEP KUMAR, Under Secy.